



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

29 पौष 1942 (श10)  
(सं० पटना 52) पटना मंगलवार 19 जनवरी 2021

---

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

---

अधिसूचनाएं

19 जनवरी 2021

सं० 8/ब.2-10-20/2019/514 गृ०आ०—बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम-7, 2007) की धारा 55 सह-पठित धारा 94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक, 1978 में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

1. बिहार पुलिस हस्तक, 1978 खण्ड- III के परिशिष्ट- 72 के क्रमांक- 4(ii) के उप-कंडिका (ग) के परन्तुक के बाद उप-कंडिका (घ) एवं (ड०) निम्नवत् अंतरस्थापित की जायेगी :-

“ (घ) **पर्षद के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल**।— पर्षद के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष होगा। अध्यक्ष के रूप में नियुक्त/नामित सेवानिवृत्त पदाधिकारी का कार्यकाल 3 (तीन) वर्ष अथवा उनके 68 (अड़सठ) वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा :

परन्तु राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के कार्यकाल का विस्तार उस अवधि के लिए, जो विनिश्चित किया जाय, किया जा सकेगा;

परन्तु और कि यदि राज्य सरकार को युक्तियुक्त रूप से समाधान हो जाए कि अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य अथवा सभी सदस्यों का पर्षद में बने रहना लोक हित के विरुद्ध है अथवा उनके बने रहने से पर्षद का सुविधाजनक कार्य-संपादन बाधित हो सकता है, तो राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष या/और वैसे किसी अन्य सदस्य या सभी सदस्यों को विनिश्चित कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व भी पदों से हटाया जा सकेगा।

(ड०) **उम्र-सीमा**।— अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु नियुक्ति के समय अधिकतम आयु-सीमा 65 (पैंसठ) वर्ष होगी।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

**गिरीश मोहन ठाकुर,**

सरकार के अवर सचिव।

## 19 जनवरी 2021

सं० 8/ब.2-10-20/2019/515 गृ०आ० एतद् द्वारा गृह विभाग (आरक्षी शाखा) की अधिसूचना सं०-514 दिनांक 19 जनवरी 2021 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत-संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-(3) के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
गिरीश मोहन ठाकुर,  
सरकार के अवर सचिव।

*The 19 January 2021*

No-8/B.2-10-20/2019/514—In exercise of the powers conferred under section 55 read with section 94 of Bihar Police Act, 2007 (Act 7, 2007) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in the Bihar Police Manual, 1978 with effect from the date of issue of notification.

1- Sub-para (d) and (e) shall be inserted after proviso of sub-para (c) in Serial no. 4(ii) of Appendix 72 of Bihar Police Manual, 1978, Volume-III as given below :-

" (d) Tenure of chairman and Members of the Board.- The tenure of the Chairman and Members of the Board will normally be three years. The tenure of the appointed/designated retired officer as Chairman shall be 3 (three) years or till he attains the age of 68 (sixty eight) years, whichever is earlier;

Provided that, in special circumstances, the tenure of the Chairman or the member may be further extended for such period as may be determined by the State Government;

Provided further that if the State Government is reasonably satisfied that continuance of Chairman or any Member or all Members in the Board is against the public interest or causing inconvenience in functioning of the Board, the chairman or and such any other member or all members may be removed from their posts by the State Government before the completion of the determined tenure.

(e) **Age limit.-** The maximum age limit for the appointment of a retired officer as Chairman shall be 65 (Sixty five) years at the time of appointment."

By the order of the Governor of Bihar,  
**Girish Mohan Thakur,**  
*Under Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 52-571+200-डी०टी०पी०  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>